

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

कमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./31/07/2167भोपाल,दिनांक: 9-7-07

आदेश

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2007-08 के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निम्नांकित कर्मचारियों का स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख जिले में किया जाता है :-

| स.क. | कर्मचारी का नाम/पद/पदस्थापना | वर्तमान पदस्थापना का जिला | नवीन पदस्थापना का जिला) |
|------|--|---------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्रीमती साधना वर्मा, सहा.शि.महा.ल.बा.क.उ.मा.वि.बरखेड़ा | भोपाल | हरदा |
| 2 | श्री भवानी सिंह चौहान, सहा.शि.शा.मा.वि.नानपोन बाड़ी | रायसेन | भोपाल |
| 3. | श्री प्रेमनारायण पंडित, सहा.शि.शा.प्रा.वि.सोबल्यापुरा उरयनगर बागली | देवास | इन्दौर |
| 4 | श्री प्रताप सिंह शाक्य,सहा.शि.शा.प्रा.वि.गागौनी नरवर | शिवपुरी | ग्वालियर |
| 5 | श्रीमती उर्मिला चतुर्वेदी, सहा.शि.शा.प्रा.वि.सर्वा गोहद | भिण्ड | ग्वालियर |
| 6 | श्री उमेश कुमार शर्मा, सहा.शि.शा.प्रा.वि.सर्वा गोहद | भिण्ड | ग्वालियर |
| 7 | श्रीमती कुन्ती बाई गहलोत, सहा.शि.शा.प्रा.वि.गहौरा | अशोकनगर | गुना |
| 8 | श्री विनोद कुमार शर्मा, प्र.अ.शा.मा.वि.क. 1 लहार | भिण्ड | ग्वालियर |
| 9 | श्रीमती विमला वर्मा, सहा.शि.शा.क.उ.मा.वि.गोविन्दपुरा भोपाल | भोपाल | ग्वालियर |
| 10 | श्री राजेश दुबे, सहा.शि.शा.प्रा.वि.सारोल | देवास | इन्दौर |
| 11 | श्रीमती कल्याणी सक्सेना, सहा.शि.शा.मा.वि.काजी केम्प भोपाल | भोपाल | विदिशा (शा.प्रा. शा.परासी टुण्डा) |
| 12 | श्री मनोज कुमार भावसार, सहा.शि.शा.प्रा.शा.परासी टुण्डा विदिशा | विदिशा | भोपाल (शा.मा. वि.काजी केम्प भोपाल) |
| 13 | श्री रामदीन साकेत, प्र.अ.शा.मा.वि.महुआगांव सीधी | सीधी | रीवा |
| 14 | श्री प्रभुलाल चौहान, शि.शा.मा.वि.चौरान | रतलाम | उज्जैन |
| 15 | श्री भूपेन्द्र मोहन श्रीवास्तव, उ.श्रे.शि.शा.बा.उ.मा.वि.नूराबाद | मुरैना | ग्वालियर |
| 16 | श्री नेमीचन्द्र सकवार, सहा.शि.शा.प्रा.शा.ओसानाखेड़ी राहतगढ़ | सागर | सिवनी |
| 17 | श्री वीरेन्द्र कुमार चौधरी, सहा.शि.शा.प्रा.शा.धपई पिपरौंध | कटनी | नरसिंहपुर |
| 18 | श्री राजेन्द्र कुमार टांक, सहा.शि.शा.मा.वि.बखतपुरा बदनावर | धार | रतलाम |
| 19 | श्रीमती रामायणी देवी व्यास, शि. शा.मा.शा.आगरा | पन्ना | छतरपुर |
| 20 | श्री प्रधुम्न कुमार पाण्डेय, सहा.शि.शा.मा.शा.रसूलिया | रायसेन | भोपाल |
| 21 | श्री कमलेश कुमार जैन,सहा.शि.शा.मा.वि.बडैरा चंदेरी | अशोकनगर | भोपाल |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|--|-----------|--------|
| 22 | श्री ज्ञानीलाल बेन, सहा.शि.विज्ञान,शा.उ.मा.वि.वांदकपुर | दमोह | उमरिया |
| 23 | श्री फूलसिंह मीना सहा.शि.शा.प्रा.वि.खडिया नापानेरा | राजगढ़ | गुना |
| 24 | श्री राजेन्द्र सिंह राजपूत,सहा.शि.शा.प्रा.शा.झरौली तेन्दूखेड़ा | दमोह | जबलपुर |
| 25 | श्रीमती कल्पना तोमर, सहा.शि.शा.क.मा.शा.सिमरिया | पन्ना | छतरपुर |
| 26 | श्रीमति रमाकान्ति गौर,सहा.शि.शा.प्रा.शा.भुगवारा करौली | नरसिंहपुर | रायसेन |
| 27 | श्री डी.के.वैष्णव, सहा.शि.शा.ने.मा.उ.मा.वि.बानापुरा तह.सिवनी मालवा | होशंगाबाद | उज्जैन |
| 28 | श्रीमती कल्पछाया उडके, सहा.शि.शा.मा.शा.टिकारी बरघाट | सिवनी | जबलपुर |
| 29 | श्रीमती आशा श्रीवास्तव, सहा.शि.शा.प्रा.वि.भुल्लनपुरा | गुना | इन्दौर |

- 2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारियों की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा । नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी ।
- 3/ उक्त सभी स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी ।
- 4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं । पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे ।
- 5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है । पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जॉच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये ।


6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानान्तरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत/ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा।

7/ स्थानान्तरण नीति वर्ष 2007-08 की कंडिका- 9.17 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानान्तरण नहीं किए जाने के निर्देश हैं। अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें कि किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये।

8/ स्थानान्तरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ती उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयावधि में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश को पात्रता नहीं होगी।

यह आदेश नियमानुसार प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर जारी किया जा रहा है।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

 सहायक संचालक
शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./31/07/2168 भोपाल,दिनांक: 9-7-07
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
2. निज सचिव, मान. राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
3. प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
4. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश भोपाल।
5. कलेक्टर, जिला - भोपाल, हरदा, रायसेन, शिवपुरी, ग्वालियर, भिण्ड, अशोकनगर, गुना, देवास, इन्दौर, विदिशा, सीधी, रीवा, रतलाम, उज्जैन, मुरेना, सागर, सिवनी, कटनी, धार, पन्ना, छतरपुर, दमोह, उमरिया, राजगढ़, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद एवं सिवनी म.प्र.।

6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला— भोपाल, हरदा, रायसेन, शिवपुरी, ग्वालियर, भिण्ड, अशोकनगर, गुना, देवास, इन्दौर, विदिशा, सीधी, रीवा, रतलाम, उज्जैन, मुरैना, सागर, सिवनी, कटनी, धार, पन्ना, छतरपुर, दमोह, उमरिया, राजगढ़, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद एवं सिवनी म.प्र. ।
7. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग मध्यप्रदेश ।
8. जिला शिक्षा अधिकारी जिला— भोपाल, हरदा, रायसेन, शिवपुरी, ग्वालियर, भिण्ड, अशोकनगर, गुना, देवास, इन्दौर, विदिशा, सीधी, रीवा, रतलाम, उज्जैन, मुरैना, सागर, सिवनी, कटनी, धार, पन्ना, छतरपुर, दमोह, उमरिया, राजगढ़, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद एवं सिवनी म.प्र. ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
9. संबंधित श्री / श्रीमती / सुश्री.....
..... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

1
A
सहायक संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश